

ईश्वरी प्रसाद तनय सुखनंदन ब्राह्मण
निवासी ग्राम गुधौरा तहसील चन्दला
(लौडी) जिला छतरपुर, म.प्र.


.....आवेदक


विरुद्ध

शासन म.प्र.

अनावेदक

श्री. क० क० ईश्वरी कश्यप
द्वारा आज दि. 10.10.14 को
प्रस्तुत


वै.क. जा.क. म.प्र.
राजसच मण्डल म.प्र. कार्यालय
10.10.14

क्र. अ. दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-10-14	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 181/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29-09-2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया है तथा धारा 52 का आवेदन निरस्त किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	